भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद
केंद्रीय स्थापना अनुभाग (मां.स.प्र.वि)

पैनल बनाए जाने के संबंध में अनुरोध (आरएफई)

अहमदाबाद के विविध स्थल पर स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक,अहमदाबाद के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता/स्टोकिस्ट/केमिस्ट का पैनल बनाए जाने के संबंध में सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद, अहमदाबाद स्थित अपनी औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ताओं / स्टाकिस्ट / केमिस्टों का एक पैनल तैयार करना चाहता है जिनका पिछले तीन वर्षों से अहमदाबाद में ₹ 50 लाख का न्यूनतम वार्षिक कारोबार हो। कार्य का संतोषजनक प्रदर्शन पाए जाने पर 01 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक पैनल की अवधि को दो वर्ष नौ महीनो के लिए परिचालित किया जा सकता है।

बैंक उन केमिस्टों से आवेदन आमंत्रित करता है जो इस सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते है। ऐसे केमिस्ट जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हो और जो दस्तावेज में उल्लेखित शर्तो को पूरा करते हो, वे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफॉर्मा (**अनुबंध-I**) में आवेदन करें। निर्धारित प्रोफॉर्मा पूरी तरह भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित, एक मुहरबंद लिफाफे में, जो क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, तीसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, गांधी पुल के पास, अहमदाबाद को संबोधित हो, मंगलवार, 27 अप्रैल 2021 को अपराह्न 5.00 बजे तक पूछताछ काउंटर में रखे निविदा बाक्स में अवश्य ही डाल दिये जाए। किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या किसी / सभी आवेदनो को, कोई कारण बताये बिना, अस्वीकार करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरिक्षत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ई-टेंडरिंग वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया की मेजबानी करेगा।

I. सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता:

(क) केमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 अथवा यथालागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत, राज्य के औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए जारी किए गए लाइसेन्स होने चाहिए (Form 20, 20-B, 21, 21-B and 21-C) जो आवेदन की तारीख को वैध हो। उनके पास दवाओं की बिक्री / व्यापार के लिए आवश्यक अन्य लाइसेन्स, मंजूरी और अनुमित भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध केमिस्ट को यह भी सुनिश्चित करना होगा और वचन देना होगा कि संविदा की अवधि समाप्त होने तक उसके पास ये लाइसेन्स वैध रूप में उपलब्ध होगे। पूरी अवधि के दौरान आवश्यक लाइसेन्स न रखने वाले केमिस्ट को स्वतः ही पैनल से हटा दिया जाएगा।

(ख) केमिस्ट को राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा कभी दोषी न ठहराया गया हो और उसके विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों एवं अन्य किसी भी कानून के तहत कोई मामला लंबित न हो।

(ग) केमिस्ट का पिछले तीन वर्षो में वार्षिक न्यूनतम कारोबार ₹ 50 लाख का होना चाहिए

(घ) केमिस्ट के पास इसी प्रकार का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए अर्थात सरकारी / अर्ध सरकारी / सावर्जिनक क्षेत्र के उपक्रमों / में से कम से कम एक में दवाओं की आपूर्ति हेतु बनाए गए पैनल में पिछले दो वर्षों में उसका नाम सूचीबद्ध किया गया हो।

(ङ) केमिस्ट को बैंक द्वारा मांग (इंडेट) की गयी सभी प्रकार की दवाओं और चिकित्सा में खर्च होने वाली सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, चाहे वह जिस ब्रांड या निर्माता की हो। इस दस्तावेज में अन्यत्र वर्णित क्रय संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद आपूर्ति कर पाने में असफल रहने पर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) जब्त कर ली जाएगी।

(च) केमिस्ट का नाम किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी / सावर्जिनक क्षेत्र के उपक्रम की वर्जित/ काली-सूची में शामिल नहीं हुआ होना चाहिए।

(छ) केमिस्ट की दुकान / व्यवसाय-स्थान अहमदाबाद शहर में होना चाहिए।

(ज) केमिस्ट के पास GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र एवं GST क्लेयरंस का प्रमाण पत्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) होना चाहिए।

(झ) केमिस्ट के पास कंप्यूटरीकृत GST बिल बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

II. नियम और शर्तें:

1. कार्य का दायरा

बैंक मोटे तौर पर अनुमानित आवश्यकता के अनुरूप दवाओं, आदि की एक सांकेतिक सूची तैयार करके, उसके आधार पर वर्ष में एक बार अपने पैनल के केमिस्ट को दवाओं को आपूर्ति के लिए 'कोटेशन हेतु अनुरोध' (आर एफ क्यू) जारी करेगा। बैंक एक या अधिक ऐसे केमिस्टों के साथ क्रय संविदा करेगा जो एकसमान एवं अधिकतम छूट प्रदान करेंगा। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान समय समय पर जारी किए गए इंडेंटों के आधार पर केमिस्टो को करार में उल्लेखित छूट प्रदान करते हुये ड्रग/ दवाओं की आपूर्ति निर्धारित समय और निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। कृपया यह नोट किया जाये कि बैंक केवल उसी केमिस्ट से दवा खरीदने को बाध्य नहीं होगा जो अधिकतम छूट दे रहा हो। बैंक को यह भी अधिकार

होगा कि वह दवाओं की खरीद दो या अधिक केमिस्ट से कर सके। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी प्रस्ताव को स्वीकार करे या बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे।

2. मूल्य निर्धारण

बैंक के आरएफक्यू के प्रत्युत्तर में केमिस्ट को आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाइयों के संबंध में उनके ब्रांड एवं निर्माताओं पर विचार किए बिना करार के तहत स्ट्रिप/बॉटल/यूनिट पर अंकित फुटकर कीमत पर एकसमान छूट प्रतिशत रूप में उद्धृत करनी चाहिए। यह नोट किया जाना चाहिए कि नियमानुसार देय किसी भी प्रकार के शुल्क, लेवी या टैक्स केमिस्ट द्वारा अदा किया जाएगा। बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी स्थान पर आपूर्ति के संबंध में समुचित पैकेजिंग, ढुलाई, परिवहन आदि पर होने वाले सभी खर्च आदि का वहन केमिस्ट करेगा। बैंक दवाइयों के कीमत लेबल पर अंकित एमआरपी में से मान्य छूट की राशि को घटाने के बाद जो राशि होगी केवल उसी का भुगतान करेगा। उद्धृत प्रस्ताव करार की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध रहेगा।

3. कार्य-निष्पादन जमानत राशि गारंटी

बैंक के साथ वार्षिक खरीद करार निष्पादित करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केमिस्ट को अनुबंध-III के अनुसार दिए गए फार्मेट में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 18 महीने तक वैध बैंक गारंटी (वार्षिक दवाओं की आपूर्ति का 10 %) अथवा "भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद" को देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा। कार्य-निष्पादन जमानत राशि पर देय किसी भी ब्याज, यदि कोई, के संबंध में किसी प्रकार का दावा बैंक क्षेत्रीय निदेशक, अहमदाबाद से नहीं किया जाएगा।

कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी करार की वैधता अवधि के बाद छह महीने तक वैध रहेगी।

इस करार के तहत दिए गए इंडेंट के अनुसार केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयों को यदि बाद में यह पाया जाता है कि वे चुराई हुई हैं या उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में कार्य-निष्पादन जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। कार्य-निष्पादन जमानत राशि को निम्नलिखित स्थिति में भी जब्त कर लिया जाएगा यदि प्राधिकृत केमिस्ट :

i) करार की शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाता है, या
ii) घटिया, खराब दवाइयां या एवजी दवाइयों की आपूर्ति करता है
iii) देरी से आपूर्ति करता है
iv) अधिक कीमत लेता है

4. करार की अवधि :

ए) पैनल करार की अवधि दो वर्ष नौ महीनो (01 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक) की होगी जो संतोषजनक कार्य-निष्पादन के अधीन होगा।

बी) वार्षिक खरीद करार के संबंध में, करार की अंतिम तिथि तक आपूर्ति के आदेश को प्रस्तुत किया जाएगा। करार की शर्तों के अनुसार समापन तिथि पर भी प्राप्त होने वाले आदेश को शामिल किया जाना चाहिए, भले ही दवाइयों की आपूर्ति की तिथि को करार की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो।

5. पात्रता दर्शाते दस्तावेज़:

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएं:

ए) आवेदन की तिथि को केमिस्ट द्वारा धारित वैध लाइसेंस की स्व-प्रमाणित प्रतियां।

बी) राज्य औषधि नियंत्रक से "कोई अभिरक्षा नहीं" प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जिसमें यह उल्लेख हो कि समय-समय पर जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 सहित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उनके तहत बने नियमों के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है। इसके स्थान पर एक एफ़िडेविट स्वीकार्य होगा।

सी) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए तुलन – पत्र की प्रतियां।

डी) **अनुबंध II** के प्रारूप के अनुसार पैरा (I, घ) में विनिर्दिष्ट एक क्लाइंट से क्लाइंट रिपोर्ट।

ई) **अनुबंध III** के प्रारूप के अनुसार केमिस्ट के बैंकर से बैंकर प्रमाणपत्र।

एफ) जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र एवं GST क्लेयरंस का प्रमाण पत्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित)।

जी) केमिस्ट को आबंटित PAN की प्रतिलिपि।

6. आवेदन की प्रक्रिया:

इस दस्तावेज के सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं नीचे मुहर के साथ होने चाहिए। इसे सभी निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करते हुए विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए। पात्र केमिस्ट नोटिस की मद संख्या 5 में बताए अनुसार दस्तावेजों की प्रतियों के साथ "दवाइयों की आपूर्ति के लिए केमिस्ट्स के पैनल के लिए आवेदन" के रूप में उपरोक्त बंद और मुहरबंद लिफाफे में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद को संबोधित किया जाना चाहिए और उसे इस प्रयोजनार्थ कार्यालय में रखा निविदा बॉक्स में 27 अप्रैल 2021 को दोपहर 5.00 बजे तक ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए।

केमिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसका आवेदन नियत दिनांक और समय से पहले या उससे पहले उपरोक्त निविदा बॉक्स में जमा किया गया है। डाक विलंब या पारगमन में देरी सहित किसी भी कारणवश निर्दिष्ट

तिथि और समय के भीतर आवेदन प्राप्त न होने पर बैंक ज़िम्मेवार नहीं होगा । **आरएफई दस्तावेज़ तैयार करने के संबंध में सभी लागत आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।**

7. किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार:

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त आवेदनों या किसी प्रकार से अधूरे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बिना कोई कारण बताए , बैंक किसी भी या सभी आवेदनों को पूर्ण या भाग में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक किसी भी समय कोई कारण बताए बिना पैनल को समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक,अहमदाबाद को बैंक के हित में जैसा उन्हें उचित लगे इस दस्तावेज में किसी भी आवश्यकता को संशोधित करने / बदलने का अधिकार है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

8. स्वीकार्यता की अधिसूचना:

बैंक पत्र के जरिए आवेदन की स्वीकृति की सूचना देगा।

9. इंडेंट और आपूर्ति की डिलीवरी

ए) बैंक से आपूर्ति के लिए इंडेंट की प्राप्ति पर, आपूर्ति की डिलीवरी बैंक के उस डिस्पेंसरी के परिसर में की जाएगी, जिससे इंडेंट संबंधित है। यह डिलीवरी डिस्पेंसरी के कार्य- दिवस के दौरान जितनी जल्दी हो सके लेकिन **सात कार्य दिवस के भीतर** की जाएगी।

बी) विशिष्ट ब्रांड की दवाओं के लिए इंडेंट के मामले में, ब्रांड को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । अन्य मामलों में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की अनुसूची एम के विनिर्देशों के अनुरूप वाली दवाओं की आपूर्ति की जाएंगी।

सी) निर्माता की मूल पैकिंग में आपूर्ति की जानी चाहिए। पैकिंग लगभग किसी विशेष औषधि / दवा के इंडेंट में की गयी कुल मात्रा के निकट होनी चाहिए।

डी) दवा के लेबल पर वर्णित प्रत्येक दवा की अपनी शेल्फ-लाइफ अवधि होती है। आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की शेल्फ लाइफ, आपूर्ति के समय अपने शेल्फ लाइफ के आधे से अधिक समय वाली नहीं होनी चाहिए।

ई) केमिस्ट संबंधित डिस्पेंसरी के लिए दवाओं की आपूर्ति के समय इंडेंट में बैच संख्या, निर्माता का नाम, समाप्ति की तारीख इंगित करेगा।

एफ) 30 दिन की नोटिस दिए बिना कैमिस्ट को दवाई की आपूर्ति रोकना नहीं चाहिए।

10. दवाओं की आपूर्ति न होने/ देरी होने पर की जाने वाली कटौती

ए) किसी विशिष्ट ब्रांड की दवा के इंडेंट किए जाने पर उसके विकल्प में कोई दूसरी ब्रांड की दवा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दवाओं के बिल की जांच के समय ऐसा कोई मामला बैंक के ध्यान में आता है तो बैंक उस

केमिस्ट/ ड्रगईस्ट/ स्टोकिस्ट से रु. 1000 + उस विशिष्ट ब्रांड की दवा के मूल्य जितनी राशि की कटौती दंड स्वरूप उसकी बिल राशि के भुगतान पूर्व कटौती सकती है।

बी) केमिस्ट द्वारा समस्त दवाओं की आपूर्ति निर्धारित समय की जानी है। दवाओं की आपूर्ति प्रातः 10:30 बजे अथवा बैंक औषधालयों के खुलने के पश्चात (जो भी देरी से हो) तक, बैंक औषधालयों अथवा आपातकाल में रोगी के निवासस्थान पर (बैंक के निर्देशानुसार) की जानी है। बैंक द्वारा निर्देशित समयसीमा में दवाओं की आपूर्ति न होने पर बैंक केमिस्ट/ ड्रगईस्ट/ स्टोकिस्ट के बिल से रु. 500 प्रति दिन के हिसाब से दंड स्वरूप कटौती कर सकती है।

11. बिलों का प्रस्तुतीकरण

ए) केमिस्ट आरबीआई, अहमदाबाद कार्यालय को की गई आपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। बिल में स्पष्ट रूप से आपूर्ति का ब्योरा जैसे कि आइटम का नाम, मात्रा, दर, डिस्काउंट राशि, निर्माता का नाम, बैच नंबर, निर्माण की तिथि और एक्सपाइरी तिथि, इंडेंट संख्या तारीख सहित आदि तथा बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य कोई जानकारी दर्शाई जानी चाहिए।

बी) बिल के साथ मूल इंडेंट होना चाहिए। साथ ही, इंडेंट किए गए आइटम की प्राप्ति के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी जो डिस्पेंसरी के प्रभारी हैं, से प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें उनके हस्ताक्षर, तिथि, कार्यालय मुहर लगी हो।

सी) उपरोक्त (ए) और (बी) में वर्णित किसी भी विवरण के बिना अधूरे बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. भुगतान

प्रस्तुत बिलों का भुगतान समान्यतः बिल की प्रस्तुति की तारीख से **10 कार्य दिवसों के भीतर** किया जाएगा। तथापि, किसी भी कारण से भुगतान में विलंब होने पर केमिस्ट बैंक से ब्याज या क्षति के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा। । भुगतान एनईएफटी के माध्यम से होना चाहिए जिसके लिए केमिस्ट को बैंक पते, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि अपेक्षित विवरण देते हुए विधिवत एनईएफ़टी मेनडेट फॉर्म भरना होगा। ।

12. भ्रष्ट, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार

बैंक यह अपेक्षा करता है कि दवा की आपूर्ति के लिए करार को प्राप्त करने और उसके निष्पादन के दौरान केमिस्ट नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। आपूर्ति की जाने वाली दवाएं मानक गुणवत्ता के होंगे। इसके अनुसरण में, इन शर्तों को निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट किया गया है:

ए) एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में या करार निष्पादन में बैंक के किसी भी अधिकारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए केमिस्ट, किसी भी मूल्य की पेशकश, देने, प्राप्त करने या उसकी मांग करने का सहारा नहीं लेगा।

बी) एम्पैनलमेंट प्रक्रिया या करार के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए केमिस्ट तथ्यों की गलत बयानी का सहारा नहीं लेगा जिससे बैंक की हानि हो सकती है।

सी) बैंक केमिस्ट को अनिश्चित काल या एक निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है ,यदि किसी भी समय, वह यह निर्दिष्ट करता है कि केमिस्ट ने करार को निष्पादित करने में भ्रष्ट और धोखाधड़ी के तरीकों को अपनाया है।

डी) बैंक, करार के उल्लंघन होने पर, किसी अन्य उपचार के पूर्वाग्रह के बिना, अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी केमिस्ट के संबंध में करार को पूरे या कुछ हिस्सों में निम्नलिखित कारणों से समाप्त कर सकता है:

i) अव-मानक / नकली / प्रतिस्थापन दवाओं की आपूर्ति,
ii) दवाओं की आपूर्ति में देरी / आपूर्ति से इनकार करना/ दवाओं की आपूर्ति नहीं करना,
iii) बिल में अधिक प्रभार लेना,
iv) यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की तारीख समाप्त हो गई है या उसकी समाप्ति की तारीख नजदीक है।
v) यदि केमिस्ट करार के तहत किसी अन्य दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।
vi) बैंक के विवेकानुसार यदि वह भ्रष्ट या धोखाधड़ी के तरीकों में लिप्त है।

ई) यदि भुगतान के बाद या उसके बाद की जांच के दौरान यह देखा जाता है कि उपर्युक्त (डी) में दिए गए किसी भी तरह के मामले में केमिस्ट लिप्त है तो मामले में निहित दवाइयों के बदले उसे बैंक द्वारा पहले अदा की गई/ विवादित/अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। केमिस्ट को देय राशि से इस तरह की आपूर्ति के प्रति देय भुगतान बैंक रोक सकता है या उसकी लागत वसूल सकता है।

14. सर्वोत्तम मूल्यों की प्रयोज्यता

जिस केमिस्ट के साथ बैंक ने वार्षिक खरीद करार किया है, यदि वह करार की वैधता अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को बैंक के करार में दी गई समान बिक्री की शर्तों के तहत अधिक छूट पर दवाएं बेचने की पेशकश करता है , तो इस प्रकार लागू छूट की दर स्वतः करार के तहत आने वाली सभी आपूर्ति के लिए उस तिथि से प्रभावी हो जाएगी और इसके अनुसार करार संशोधित होगा। अन्य समान करार धारकों को, यदि कोई हो तो, सीलबंद लिफाफे में कम की गई कीमत सूचित की जाएगी और इसके लिए उन्हें 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा, ताकि यदि वे चाहें तो कीमतों को संशोधित कर सकते हैं, इस प्रकार सीलबंद लिफाफों को निर्दिष्ट तिथि और समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा और मानक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

15. क्षतिपूर्ति

इस करार का निष्पादन करने पर, केमिस्ट के किसी कार्य की वजह से या किए जानेवाले किसी कार्य की वजह से, इस करार के कार्य के संबंध में या करार के निष्पादन के संदर्भ में बैंक के खिलाफ की गई या की जानेवाली किसी भी, की गई सभी कार्रवाईयों, याचिकाओं, दावों और मांगों के प्रति बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। या केमिस्ट के खिलाफ की गई या की जानेवाली किसी भी कार्रवाई या याचिका के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान पहुंचता है तो वह बैंक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति करेगा।

16. विवाचन

यह करार आपसी विश्वास और गोपनीयता पर आधारित है। दोनों पक्ष सद्भाव से यह कार्य करने के लिए सहमत हैं। बैंक और बोली लगानेवाले के बीच करार के संबंध में अगर कोई विवाद या किसी भी तरह की असहमति (जिसके बारे में यह निर्णय का उपचार अलग से कहीं और निर्दिष्ट नहीं नहीं किया गया है) उत्पन्न होती है, वह चाहे करार की अवधि में हो या उसके पूरा होने के बाद हो, चाहे वह करार की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन के पहले हो या बाद में हो, तो ऐसी स्थिति में, मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के एकमात्र विवाचन के तहत लाया जाएगा और इसका निपटारा होगा। वे बोली लगाने वाले को अपने फैसले को लिखित रूप में सूचित करेंगे। ऐसे मामले में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

****

अनुलग्नक I

भारतीय रिज़र्व बैंक
अहमदाबाद

दवाओं की आपूर्ति के लिए केमिस्टो को सूचीबद्ध करने (एम्पैनलमेंट) के लिए आवेदन पत्र

क्रमांक	मद	विवरण
1	केमिस्ट का नाम	
2	संगठन (कंपनी /पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप)	
3	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकरण, पंजीकरण संख्या और दिनांक)	
4	व्यवसाय शुरू करने का वर्ष	
5	जीएसटी (GST) नंबर	
6	पैन नंबर	
7	विनिर्माता / प्राधिकृत वितरक / डीलर / एजेंसी, इनमें से क्या हैं ?	
8	बैंक को कार्य निष्पादन का वचन देने के लिए प्राधिकृत प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक/ आधिकारी का(के) नाम और पदनाम	
9	टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर : ईमेल आईडी:	
10	डाक पता	

11	क्या केमिस्ट आवेदन की तारीख को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत राज्य की दवा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा एलोपेथिक दवाओं की कई श्रेणियों के लिए वैध लाइसेंस धारित करता है? कृपया लाइसेंस का विवरण दें।	
12	क्या केमिस्ट को राज्य दवा नियंत्रक दोषी करार दिया गया है या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बने नियमों और साथ ही दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन समय-समय पर जारी नियमों के तहत उसके खिलाफ कोई मामला लंबित है ?	
13	क्या केमिस्ट के पास जीएसटी क्लेयरंस प्रमाण पत्र उपलब्ध है?	
14	क्या बिलिंग सिस्टम कम्प्यूटरीकृत है?	
15	सर्वोत्तम मूल्य के लिए सहमति (आर.एफ.ई का पैरा 14 देखें)	
16	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ कॉर्पोरेट ग्राहक के नाम जिन्हें केमिस्ट की ओर से दवाओं की थोक आपूर्ति की जाती है।	
17	प्रिंसिपल बैंकर का नाम और पता कृपया फोन नंबर भी दें।	

मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दवाइयों की आपूर्ति के लिए केमिस्ट और ड्रगिस्ट को सूचीबद्ध करने (एम्पैनलमेंट) के लिए पात्रता मानदंड और निर्दिष्ट नियम और शर्तों वाले नोटिस को पढ़ा और समझ लिया है। मैं इन नियमों और शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि बैंक कोई भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
तारीख:

नोट: नोटिस के मद संख्या 5 में बताए अनुसार, निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उपर्युक्त फार्मेट में सभी मामलों में पूर्ण आवेदन बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "दवाओं की आपूर्ति के लिए केमिस्टों को सूचीबद्ध करने (एम्पैनलमेंट) के लिए आवेदन" लिखा हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पते पर भेजा जाए जो 27 अप्रैल, 2021 को दोपहर 5.00 बजे तक मिल जाना चाहिए।

अनुलग्नक II

कार्यनिष्पादन के बारे में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा
(अलग से भरा और मुद्रित किया जा सकता है)

ग्राहक का नाम और पता:

श्री / मेसर्स (केमिस्ट का नाम) द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्योरा

1. संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम:

2. करार संख्या और तिथि:

3. करार की राशि (अनुमानित भी स्वीकार्य हैं):

4. शर्तों का निष्पादन नहीं करने या पालन नहीं के लिए यदि कोई आर्थिक दंड लगाया गया है (राशि दर्शाएं) का विवरण:

5. प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी जिनके तहत आपूर्ति की गई
   नाम और पदनाम :
   टेलीफोन नंबर :
   ईमेल :

6. केमिस्ट की क्षमताओं पर टिप्पणी:
   ए) तकनीकी प्रवीणता
   बी) वित्तीय सुदृढ़ता
   सी) समय-सीमा का पालन
   डी) काम की गुणवत्ता
   ई) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

* 'प्रतिहस्ताक्षरित'

कार्यालय की मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम :
संपर्क संख्या :

अनुलग्नक III

बैंकर का प्रमाणपत्र

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग (मां.स.प्र.वि),
अहमदाबाद – 380014

अनुसूचित बैंक का बैंकर प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी अधिकतम जानकारी और सूचनाओं के अनुसार, मैसर्स / श्री ---------------------------- जिनका पता दिया गया है, हमारे बैंक के सम्मानित ग्राहक है और उन पर ₹.................................. (रुपए..) तक की सीमा के सौदे के लिए विश्वास किया जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या बैंक के किसी अधिकारी की गारंटी या ज़िम्मेदारी के बगैर जारी किया जा रहा है।

कृते बैंक

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम तथा पदनाम :

नोट :

1. बैंकर का प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर, मुहरबंद लिफाफे में और सूचीकरण प्राधिकारी को संबोधित होना चाहिए।
2. भागीदारी फार्म के मामले में प्रमाणपत्र में सभी पार्टनरों के नाम शामिल होने चाहिए जैसा कि बैंक के अभिलेख में हो।